राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मुकेश कुमार बनाम सत्यनारायण

तारीख हुक्म	1923/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
16/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 127 रकबा 0.6828 हेक्टेयर निवासी ग्राम जोरपुरा पटवार हल्का जोरपुरा (सुन्दरियावास) भू.अभि.नि. क्षेत्र हिगोंनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि खसरा नंबर 360/114 रकबा 0.0126 हेक्टेयर ग्राम जोरपुरा पटवार हल्का जोरपुरा (सुन्दरियावास) भू.अभि.नि. क्षेत्र हिगोंनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर में से आने जाने का वैकल्पिक रास्ता बना हुआ था लेकिन वर्तमान में खसरा नंबर 360/114 के खातेदार ने उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजी खसरा नंबर 127 में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं रहा है इसलिए प्रार्थीगण को अपनी भूमि की बाजोत काश्त करने के लिए व अपनी भूमि को उपजाउ व विकसित करने के लिए तथा अपनी भूमि पर आने जाने के लिए व मवेशीयों को लाने ले जाने के लिए सुविधानुसार रास्ता खसरा नबर 360/114 रकबा 0.0126 हेक्टेयर ग्राम जोरपुरा पटवार हल्का जोरपुरा (सुन्दरियावास) भू.अभि.नि. क्षेत्र हिगोंनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर में से मार्क ए. से बी. 10 फुट चौडा रास्ता कायम किया जाना आवश्यक है। तथा बी. से सी. रास्ता निकालने एवं राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में दर्ज कराने के लिए प्रार्थीगण सहमत है। प्रार्थीगण के पास वर्तमान में कोई वैकल्पिक व अन्य रास्ता उपलब्ध नही है उक्त भूमि में से रास्ता दिये जाने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर सुविधाजनक आवागमन करके अपनी भूमि की काश्त कर सकता है एवं कृषि यन्त्रो को लाने ले जाने व पशुओं के लिए चारा वगैरह लाने ले जाने उसको सुविधा मिल सकती। इसलिए खसरा नंबर 360/114 में से 10 फुट चौडा रास्ता मार्क ए० से बी० संलग्न नक्शे में नारंगी रंग से दर्शित रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जावे। प्रार्थीगण उक्त रास्ते के लिए धारा 251 ए राज० टिनेसी ऐक्ट के अनुसार भूमि के बदले भूमि या उक्त ऐक्ट के तहत निर्धारित राशि जमा करवाने को तत्पर एवं तैयार है। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मुकेश कुमार बनाम सत्यनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1923/2025		

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | अप्रार्थी संख्या 2 लगा. 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी | तत्पश्चात तहसीलदार जोबनेर द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सनायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29/09/2025 पारित करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) खारिज की जाती है | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का समुचित परिक्षण कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | तहसीलदार की रिपोर्ट से प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना स्पष्ट होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29/09/2025 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर